



UTTARAKHAND BIODIVERSITY BOARD

Quarterly Newsletter

WINTER EDITION 2025

January - March

INSIDE THIS ISSUE

झारखंड जैव विविधता बोर्ड का उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड के साथ ज्ञान और अनुभव का आदान-प्रदान ...	01
उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन	02
उत्तराखण्ड राज्य के सीमांत क्षेत्रों की जैव विविधता प्रबन्ध समितियों (बीएमसी) के अन्तर्गत आने वाली अनुसूचित जनजाति के सदस्यों हेतु तीन दिवसीय उन्नत क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन	06
Preliminary meeting on declaring Chhoti Haldwani, Kaladhungi as Biodiversity Heritage Site	10
Conferences / Lectures / Seminars /Workshops	12



झारखंड जैव विविधता बोर्ड का उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड के साथ ज्ञान और अनुभव का आदान-प्रदान

दिनांक 02 जनवरी 2025 को ग्राम पंचायत कुंजाग्रांट और ढालीपुर, विकासनगर ब्लॉक, जिला देहरादून में जैव विविधता प्रबन्ध समिति (बीएमसी) के सदस्यों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड से अधिकारियों एवं झारखंड जैव विविधता बोर्ड (जेबीबी) से श्री शमर लाल, तकनीकी सहायक और श्री धीरेन्द्र कुमार, एसोसिएट तकनीकी अधिकारी ने भाग लिया।

बैठक के दौरान, जैव विविधता प्रबन्ध समिति (बीएमसी) के सदस्यों को जैव विविधता अधिनियम (संशोधित), 2023 के प्रावधानों की जानकारी दी गई। उन्हें अधिनियम में किए गए संशोधनों और नई व्यवस्थाओं से अवगत कराया गया एवं इन प्रावधानों को जैव विविधता प्रबन्ध को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण बताया गया। संशोधित अधिनियम का उद्देश्य स्थानीय जैव विविधता के संरक्षण में समुदाय की भागीदारी को मजबूत करना, पहुँच तथा लाभ का सहभाजन (ABS) करने की प्रक्रिया



"Biodiversity Conservation.... An art of living with nature."

को अधिक प्रभावी बनाना और पारंपरिक ज्ञान व जैव संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करना है, जिससे स्थानीय समुदायों को लाभ मिले और पर्यावरणीय संतुलन भी बना रहे।

चर्चा के दौरान, स्वदेशी वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण में सामुदायिक

भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया और बीएमसी की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया गया ताकि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखा जा सके। जैव विविधता के दस्तावेजीकरण, मूल्यांकन और संरक्षण तकनीकों को बेहतर ढंग से समझने के लिए व्यावहारिक जानकारी

साझा की गई। बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि जैव विविधता संरक्षण प्रयासों को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए पारंपरिक ज्ञान को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोड़ा जाए ताकि समस्त स्थानीय जानकारी को जैव विविधता पंजिका (पीबीआर) में भविष्य के लिए संरक्षित किया जा सके।



उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड ने जनवरी से मार्च 2025 के बीच देहरादून जिले के दो ब्लॉकों में जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया। इस पहल में कुल 62 स्कूलों को शामिल किया गया, जिनमें 37 स्कूल रायपुर ब्लॉक और 25 स्कूल डोईवाला ब्लॉक में स्थित थे। इस कार्यक्रम में लगभग 1,995 छात्रों

ने भाग लिया, साथ ही उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड के सदस्य और स्कूल के शिक्षक भी इसमें शामिल हुए।

कार्यक्रम में छात्रों की जैव विविधता और उसकी महत्ता की समझ को बढ़ाने के लिए कई रोचक और शैक्षिक गतिविधियाँ आयोजित की गईं। कार्यक्रम में वीडियो

प्रस्तुति के माध्यम से जैव विविधता, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में इसकी भूमिका, और संरक्षण प्रयासों की तत्काल आवश्यकता पर जानकारी दी गई। इसके अलावा, कार्यक्रम में कविता लेखन प्रतियोगिता, निबंध लेखन और वन्यजीव पहचान प्रतियोगिता जैसी प्रतिस्पर्धाएँ आयोजित की गईं जिसके





माध्यम से छात्रों को पर्यावरण संरक्षण पर अपने विचार रचनात्मक रूप से व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

सतत विकास और सहभागी पर्यावरणीय प्रथाओं के महत्व को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए, बोर्ड ने छात्रों को पुनर्नवीनीकरण सामग्रियों से बने पर्यावरण-अनुकूल बैज और पशु मुखौटे वितरित किए। इस पहल का उद्देश्य छात्रों में पर्यावरणीय जिम्मेदारी की भावना विकसित करना था, जिससे वे पुनर्चक्रण और सतत जीवनशैली के

सिद्धांतों को अपनाने के लिए प्रेरित हो सकें। पारस्परिक शिक्षण अनुभवों को शामिल करके, कार्यक्रम ने न केवल छात्रों को भारत की समृद्ध जैव विविधता और इसकी पारिस्थितिक महत्ता के बारे में शिक्षित किया, बल्कि उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए सक्रिय कदम उठाने के लिए भी सशक्त बनाया। इसके अलावा, कार्यक्रम में कहानी सुनाने के सत्र, चित्रकला प्रतियोगिता, सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ और संवादात्मक चर्चाएँ शामिल थीं, जिससे सीखने की प्रक्रिया अधिक रोचक और आनंददायक

बनी। इन सत्रों ने छात्रों को जैव विविधता संरक्षण के विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझने का अवसर प्रदान किया। इन गतिविधियों में भाग लेकर, छात्रों ने प्रकृति के प्रति एक गहरी समझ विकसित की और व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किया कि कैसे छोटे-छोटे व्यक्तिगत प्रयास पर्यावरणीय स्थिरता पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

इस जागरूकता कार्यक्रम ने निम्नलिखित प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया:





राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, चन्दर रोड, डालनवाला, रायपुर, देहरादून



राजकीय प्राथमिक विद्यालय, छिदरवाला,
डोईवाला, देहरादून



राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजीव नगर,
रायपुर, देहरादून



राजकीय प्राथमिक विद्यालय, चकजोगीवाला,
डोईवाला, देहरादून



राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, ब्रह्मपुरी,
रायपुर, देहरादून



राजकीय प्राथमिक विद्यालय, कुआंवाला, डोईवाला, देहरादून



राजकीय प्राथमिक विद्यालय, दीपनगर, रायपुर, देहरादून



राजकीय प्राथमिक विद्यालय, रेस्ट कैम्प, रायपुर, देहरादून

- जैव विविधता, उसकी महत्ता और संरक्षण रणनीतियों की जानकारी।
- जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर पोस्टर, निबंध और चित्रकला प्रतियोगिताएँ।
- जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण पर आधारित डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग।
- पटाखों के पर्यावरणीय दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता अभियान।
- कहानियों के माध्यम से संवादात्मक सत्र, जिनमें शामिल विषय थे जैसे:
 - जैव विविधता क्या है?
 - जैव विविधता के प्रकार।
 - पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन में जैव विविधता का महत्व।
 - जैव विविधता संरक्षण के प्रयास और इसमें छात्रों की भूमिका।
 - “इमैजिन विद मी” एक रचनात्मक गतिविधि, जिसमें छात्रों को जैव विविधता के महत्व को खोजने और समझने के लिए प्रेरित किया गया।
- जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर छात्रों के ज्ञान को परखने के लिए प्रश्नोत्तरी।

यह व्यापक पहल छात्रों को सक्रिय रूप से शामिल करने और जैव विविधता, सतत विकास, और जलवायु परिवर्तन की गहरी समझ विकसित करने के लिए डिज़ाइन की गई थी।

उत्तराखण्ड राज्य के सीमांत क्षेत्रों की जैव विविधता प्रबन्ध समितियों (बीएमसी) के अन्तर्गत आने वाली अनुसूचित जनजाति के सदस्यों हेतु तीन दिवसीय उन्नत क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

दिनांक 05.03.2025 को भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बीएसआई), देहरादून, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार तथा उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड (यूबीबी), के संयुक्त तत्वाधान में उत्तराखण्ड के सीमांत क्षेत्रों की जैव विविधता प्रबन्ध समितियों (बीएमसी) के अन्तर्गत आने वाली अनुसूचित जनजाति के सदस्यों हेतु तीन दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC), नई दिल्ली और भावसे (बीएसआई), ई.आई. ए.सी.पी., कोलकाता द्वारा वित्तपोषित था।

प्रतिभागियों की भागीदारी

इस कार्यक्रम में उत्तराखण्ड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों की जैव विविधता प्रबन्ध समितियों (बीएमसी) के अन्तर्गत आने वाली अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बीएमसी के सदस्यों को जैव विविधता संरक्षण, पारम्परिक ज्ञान एवं लोक जैव विविधता पंजिका (पीबीआर) के बेहतर संचालन के लिए आवश्यक तकनीकी व व्यवहारिक जानकारी प्रदान करना था।

कार्यक्रम में डॉ. एस.के. सिंह, कार्यालयाध्यक्ष, बीएसआई, देहरादून, श्री नीतीश मणि त्रिपाठी, सदस्य सचिव,

उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, डॉ. गौरव शर्मा, कार्यालयाध्यक्ष, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) एवं डॉ. मनीष कण्डवाल, वरिष्ठ वैज्ञानिक, बीएसआई ने अपने विचार रखे।

कार्यक्रम मुख्य विषय

- उत्तराखण्ड की समृद्ध जैव विविधता और इसका गांवों एवं समुदायों से सीधा संबंध।
- स्थानीय समुदायों के दैनिक जीवन में जैव विविधता का महत्व और उसका संरक्षण।
- पारंपरिक ज्ञान एवं जैव विविधता के संरक्षण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका।



तकनीकी सत्रों का विवरण

कार्यक्रम में तकनीकी सत्र आयोजित किए गए, जिनमें जैव विविधता अधिनियम, 2002, जैव विविधता प्रबन्ध समितियों की भूमिका, और लोक जैव विविधता पंजिका (पीबीआर) के निर्माण एवं प्रबंधन पर गहन चर्चा की गई।

श्री नीतीश मणि त्रिपाठी, सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा जैव विविधता प्रबन्ध समिति (बीएमसी) की भूमिका, लोक जैव विविधता पंजिका (पीबीआर) के प्रभावी प्रबंधन और जैव विविधता अधिनियम, 2002, (संशोधित) अधिनियम, 2023 पर व्यापक जानकारी प्रदान की। उन्होंने बीएमसी के दायित्वों और जैव विविधता संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। पीबीआर के प्रबंधन पर चर्चा के दौरान उन्होंने इसके निर्माण, रखरखाव और अद्यतन प्रक्रिया पर प्रकाश डाला, जिससे स्थानीय समुदायों को अपने जैव संसाधनों का बेहतर प्रबंधन और



संरक्षण करने में सहायता मिल सके। इसके अलावा, जैव विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रमुख प्रावधानों पर भी उन्होंने विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि संशोधित अधिनियम में पहुँच तथा लाभ का सहभाजन (ABS) तंत्र को सुदृढ़ किया गया है, जिससे जैव संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों को स्थानीय समुदायों तक पहुँचाना सुनिश्चित किया जा सके। इस अधिनियम से जैव विविधता के संरक्षण एवं सतत उपयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

श्री एस.एस. रसाइली, सेवानिवृत्त अपर प्रमुख वन संरक्षक ने जैव विविधता अधिनियम 2002 और इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से जानकारी दी।

डॉ. राकेश शाह, सेवानिवृत्त प्रमुख वन संरक्षक ने जैव विविधता प्रबंध समिति (बीएमसी) व पहुँच तथा लाभ का सहभाजन के बारे में विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला।

अंतिम दिन भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, देहरादून और उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा विलासपुर कांडली ग्राम पंचायत, सहसपुर में जैव विविधता प्रबन्ध समिति (बीएमसी) के साथ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बीएमसी सदस्यों और स्थानीय लोगों को जैव विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी गई। साथ ही, लोक जैव विविधता पंजिका (पीबीआर) के निर्माण में पारंपरिक ज्ञान की भूमिका और स्थानीय वनस्पतियों से संबंधित







जानकारी एकत्रित करने की उपयोगिता के बारे में जागरूक किया गया।

कार्यक्रम का संचालन डॉ. मोनिका मिश्रा द्वारा कुशलतापूर्वक किया गया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन डॉ. बृजेश कुमार ने प्रस्तुत किया। समापन में, कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य जैव विविधता प्रबंध समिति के सदस्य, विशेषज्ञों,

वैज्ञानिकों और अधिकारियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया गया।

कार्यक्रम की सार्थकता

यह तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जनजातियों की बीएमसी को सशक्त बनाने और उन्हें जैव विविधता संरक्षण एवं पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करने

के लिए आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। इससे स्थानीय समुदायों को अपनी जैव विविधता के संरक्षण के साथ-साथ जैव संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।



Preliminary meeting on declaring Chhoti Haldwani, Kaladhungi as Biodiversity Heritage Site

On March 18, 2025, a preliminary meeting was organized at Kaladhungi Forest Rest House, Kaladhungi Range, Ramnagar, District Nainital, with the collaboration of the Uttarakhand Biodiversity Board and the Forest Department, Uttarakhand to discuss the declaration of Chhoti Haldwani, Kaladhungi as a Biodiversity Heritage Site. Officials from the Forest Department, Municipal Council Kaladhungi, Jim Corbett Village Development Committee, and experts from the Uttarakhand Biodiversity Board participated in the meeting.

Dr. Amit Singh from the Uttarakhand Biodiversity Board delivered an insightful presentation on the significance of Biodiversity Heritage Sites (BHS), highlighting their importance in preserving unique ecosystems, traditional knowledge, and cultural heritage. He elaborated on the legal framework governing the declaration of such

sites under the Biological Diversity Act, 2002, and explained the step-by-step procedures involved in the designation process. Additionally, Dr. Singh emphasized the critical role that local communities and the Forest Department play in the management, conservation, and sustainable utilization of biodiversity in these heritage sites.

The presentation was followed by an extensive and engaging discussion focusing on the potential benefits of declaring Chhoti Haldwani, Kaladhungi, as a Biodiversity Heritage Site. The discussion underscored how the recognition of this site could significantly contribute to:





- ◆ Promotion of eco-tourism and sustainable livelihoods for the local community.
- ◆ Strengthening environmental conservation efforts by protecting native biodiversity and preserving the region's ecological balance.
- ◆ Enhancing the socio-economic development of the local population by creating new opportunities for income generation through nature-based activities.

Several key suggestions were put forward during the discussion to facilitate the smooth and effective implementation of the process:

- ◆ Reconstitution of the Biodiversity Management Committee (BMC): It was proposed that the existing BMC be reconstituted with active

representation from local stakeholders to ensure more effective decision-making and governance.

- ◆ Clear Demarcation of Proposed Boundaries: To avoid future conflicts and ensure better management, it was suggested that a clear and precise demarcation of the proposed site's geographical boundaries be carried out through scientific surveys and mapping.
- ◆ Provision of Scientific and Administrative Support: Recognizing the need for technical expertise, it was recommended that scientific and administrative assistance be extended to the BMC and local authorities to facilitate effective biodiversity management.

- ◆ Awareness and Capacity-Building Programs: To ensure long-term success, it was suggested that awareness campaigns and capacity-building training programs be conducted at the community level to equip local stakeholders with the necessary knowledge and skills for biodiversity conservation and sustainable resource management.

The meeting concluded with a consensus that declaring Chhoti Haldwani, Kaladhungi, as a Biodiversity Heritage Site would serve as a model for integrating conservation and development, ensuring ecological sustainability and enhancing the well-being of local communities.

Conferences/Lectures/Seminars/Workshops

Stakeholder Inception cum Validation Workshop for GEF-8 Project Held in Bhubaneswar

The Stakeholder Inception cum Validation Workshop for the GEF-8 project on "*Enhancing the Conservation and Sustainable Use of Biodiversity to Meet India's Commitment to the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework Targets by 2030 (OECM Project)*" was successfully held on 3rd February 2025 in Bhubaneswar, Odisha.

The National Biodiversity Authority (NBA) and the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC), in collaboration with the United Nations Development Programme (UNDP), organized this important workshop to discuss and validate key strategies for biodiversity conservation and sustainable use under the project. Shri Nitish Mani Tripathy, Member Secretary, Uttarakhand Biodiversity Board, attended the meeting and contributed valuable insights, engaging with

participants from various states to enhance collective understanding and action toward biodiversity conservation goals.

3rd International Symposium on Plant Taxonomy, Ethnobotany, Botanic Gardens, and Biodiversity Conservation

The National Biodiversity Authority (NBA) and the Botanical Survey of India (BSI), Kolkata, jointly organized the Symposium from 13th to 15th February 2025.

The symposium focused on key issues related to *biodiversity governance, including Acts and Rules, Access and Benefit Sharing (ABS) mechanisms, and the State Biodiversity Strategy and Action Plan (SBSAP)*, etc. Shri Nitish Mani Tripathy, Member Secretary, Uttarakhand Biodiversity Board, participated in the programme and engaged with attendees from different states. He shared valuable insights, enriching discussions on biodiversity conservation, (ABS)

mechanisms and State Biodiversity Strategy and Action Plan (SBSAP).

IFS Officers Participate in Training Workshop on Human-Animal Interface Management

A three-day training workshop on "*Human-Animal Interface Management*" was held at Kerala Forest Research Institute (KFRI), Peechi, from February 18-20, 2025, with the participation of Indian Forest Service (IFS) officers from across the country.

Shri Nitish Mani Tripathy, Member Secretary, Uttarakhand Biodiversity Board, attended the training workshop and contributed valuable insights. He actively engaged with participants from various states, fostering discussions to enhance collective understanding and strategic action toward effective biodiversity conservation and human-wildlife conflict management.

Guidance

Shri Subodh Uniyal,
Hon'ble Forest Minister

Shri R.K. Sudhanshu, IAS, Principal Secretary,
Forest, Environment Protection & Climate Change

Direction

Shri Nitish Mani Tripathi, IFS, Member Secretary

Designed & Published by

Uttarakhand Biodiversity Board, Dehradun

Photo credits: Uttarakhand Biodiversity Board



UTTARAKHAND BIODIVERSITY BOARD

423, Indira Nagar Colony, Dehradun-248006

Contact no.: 91-135-2769886 * Email: sbboard-uk@gov.in * Website: www.sbb.uk.gov.in